भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †1869
31 जुलाई 2025 को उत्तर देने के लिए

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना का विस्तार

†1869. श्री राजू बिष्ट:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में जुलाई 2025 तक चयनित लाभार्थियों की संख्या कितनी है और इसके अंतर्गत संवितरित कुल धनराशि कितनी है;

(ग) जुलाई 2025 तक देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और रोजगार सृजन पर इस योजना का अपेक्षित प्रभाव कितना है; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में भागीदारी के लिए इस योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है और यदि हॉं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) का उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना; खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देना; गैर-कृषि नौकरियों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित करना है।

(ख): दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत कोई लाभार्थी/ आवेदक अनुमोदित नहीं है।

(ग): इस योजना से देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में प्रति वर्ष 35.00 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत अब तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से लगभग 3.39 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं ।

(घ): वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****